निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 73/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनेश पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बलाई निवासी ग्राम मानसर खेडी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. शांति देवी पत्नी चौथूराम बलाई निवासी मकान नम्बर 228, बडवाली ढाणी, सब्जी मण्डी के पास, हिसार हरियाणा।

2. श्रीमती कमला पत्नी अमरनाथ जाति बलाई निवासी रामपुरा मोहल्ला, पीरनाथ का कुआ, हिसार हरियाणा ।

3. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

4. ग्राम पंचायत मानसर खेडी, जरिये सरपंच, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ।

6. श्री शिव चरण शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 171/2006 व उनवानी शान्ति बनाम जगन्नाथ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री श्रीमती कविता कुमार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामकिशोर गुर्जर एवं श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 26.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 171/2006 व उनवानी शान्ति बनाम जगन्नाथ व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर गुर्जर व श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सर्व प्रथम कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कानूनी प्रश्न तय होना है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 6 कानूनी बिन्दु को तय किये बिना ही पहले साक्ष्य लेने पर आमदा है एवं गत पेशी दिनांक 28.03.2023 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 04.04.2023 नियत की गई है एवं कहा कि आगामी पेशी पर गवाह को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, जबकि अप्रार्थी संख्या 6 के यहां विचाराधीन पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पैण्डिंग है जिसका निस्तारण होना शेष है उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 6 पत्रावली में कानूनी बिन्दु का निस्तारण किये बिना साक्ष्य लेने पर आमादा है जो कि उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। पूर्व में स्वयं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में उन्होंने अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करा लिया एवं प्रार्थी ने गांव में यह चर्चा भी सुनी है कि अप्रार्थी संख्या 6 व अप्रार्थी संख्या एक ने जिन व्यक्तियों को दौराने दावा विवादित जमीन का एग्रीमेन्ट कर रखा है उनसे मिल कर प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है । क्योंकि स्वयं अप्रार्थी संख्या एक ने जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने विवादित जमीन को दीगर लोगों को विक्रय कर रखा है। दिनांक 31.03.2023 को रामकिशन गुर्जर नामक व्यक्ति जिसने अप्रार्थी संख्या एक से साज कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुकदमा प्रस्तुत करवाया है, वह गांव में लोगों को यह कह रहा है कि उसकी एंवं उसके पहचान वालों की अप्रार्थी संख्या 6 से सांठ गांठ हो चुकी है एवं अप्रार्थी संख्या 6 प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी देकर प्रकरण का उनके हक में निस्तारण कर एवं पुलिस प्रशासन की मदद से प्रार्थी को मौके से बेदखल कर विवादित भूमि पर कब्जा करेंगे एवं इसी वजह से उन्होंने अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज करवाया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 6 से न्याय से कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि अप्रार्थी संख्या 6 प्रोपर्टी डीलर वालों के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है । इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 6 से न्याय की आशा नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 171/2006 ब उनवानी शान्ति बनाम जगन्नाथ व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को अन्तरण किया जाता है।

9. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी एवं सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **26.06.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner